तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 203/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/388) बअनवान सुमित्रा बनाम गोरधनराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

सुमित्रा

बनाम

गोरधनराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
3. श्री विकास राठी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या पांच व छ
4. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

आदेश

दिनांक 01 अप्रैल 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2021 अनवान सुमित्रा बनाम गोरधनराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 09 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 610, 611, 616 व 621 पूर्व में अपीलार्थीनी के परदादा हुकमाराम के नाम दर्ज रहने से वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीनी का 1/7 हिस्सा जन्म से निहित है। अपीलार्थीनी द्वारा विचारण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 203/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/388) बअनवान सुमित्रा बनाम गोरधनराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2021 को उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2021 को पक्षकारान् को बिना सूचना दिये पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प विनायकपुरा में रखकर अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को बिना कोई कारण दिये आगे नहीं बढाया। रेस्पोडेंट्स आलौच्य आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अपीलार्थीनी का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। कानूनन कब्जे काश्त के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 203/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/388) बअनवान सुमित्रा बनाम गोरधनराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख खतौनी बंदोबस्त संवतः 2011-2030 ग्राम भवाद तहसील जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 611 रकबा 59 बीघा, खसरा नंबर 616 रकबा 95.02 बीघा, खसरा नंबर 621 रकबा 31.19 बीघा, खसरा नंबर 610 रकबा 05 बिस्वा वक्त सेटलमेंट अपीलार्थीनी के दादा हुक्मा वल्द भूरा कौम विश्नोई के नाम दर्ज रहने से वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2021 को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जाना पाया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढाये जाने का कोई विधिसंगत कारण नहीं बतलाया गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो अपीलार्थीनी को अपूरणीय क्षति होना संभाव्य है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। न्याय हित में मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 203/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/388) बअनवान सुमित्रा बनाम गोरधनराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को अपास्त किया जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर